जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम अभियन्ता व एआरओ निलम्बित

जयपुर, 07 अगस्त। जयपुर डिस्कॉम द्वारा कार्य में अनियमितता की शिकायतें पाए जाने के कारण भिवाड़ी के सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं एआरओ को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के.गुप्ता ने बताया कि भिवाड़ी में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनियमितता की शिकायतें पाए जाने एवं उनमें श्री चन्द्रेश शर्मा सहायक अभियन्ता–एचटीएम भिवाड़ी, श्री प्रमोद कुमार सिंह कनिष्ठ अभियन्ता द्वितीय– भिवाड़ी एवं श्री नरपत सिंह एआरओ– भिवाड़ी की संलिप्तता की विस्तृत जांच कराए जाने तक उन्हें निलम्बित किया गया है।

निलम्बन काल में श्री चन्द्रेश शर्मा का मुख्यालय संभागीय मुख्य अभियन्ता, कोटा जोन, कोटा, श्री प्रमोद कुमार सिंह का संभागीय मुख्य अभियन्ता, भरतपुर जोन, भरतपुर एवं श्री नरपत सिंह का अधीक्षण अभियन्ता, पवस, भरतपुर के कार्यालय में मुख्यालय रहेगा।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 903/2019